## MCDR-MiFLOFE/4/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

1/25340/2024

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय माखूपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002 AUREAU OF THE JOB WITH THE JOB

Violation Letter
Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002

By speed post/Email

Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

<sup>2695202</sup> दिनांक : **09.02.2024** 

ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

संख्या : E5455 MCDR-MiFL0FE/4/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

प्रेषिति : खान मालिक,

मेसर्स प्रतीक मीनरल्स .

6J(A) मालवीय इन्डस्ट्रीअल एरिया

जिला-जयपुर (राजस्थान)-302017 । Email: <u>prateekminerals@yahoo.com</u>

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Narda Iron Ore Mine over an area 24.61 Ha.in Sikar district of Rajasthan State. महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Ajay Kumar Jatolia, Assitant Mining Engineer on 09/01/2024 in presence of Mine Officials.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review
	of Mining Plan (Approved on 19.02.2021): -
	➤ 20m proposed Retaining wall during the year 2022-23 has not been done on proposed location.
	➤ 20m proposed Garland drain during the year 2022-23 has not been done on proposed location.

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतगर्त दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत:
- (क ) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख ) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
- (ग ) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है ।
- 03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतीशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैतालीस ) दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा )

उप खान नियंत्रक(कार्यालय प्रभारी)

भारतीय खान ब्यूरो

## प्रतिलिपी सूचनार्थ:

- 1. खान नियत्रंक (उ.आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयप्र (ईमेल )
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयप्र ।
- 3. खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीम का थाना, सीकर ।

उप खान नियंत्रक(कार्यालय प्रभारी) भारतीय खान ब्युरो